भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3095
उत्तर देने की तारीख : 12.03.2020

अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए सर्वेक्षण

3095. श्री डी॰ एम॰ कथीर आनन्दः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो आंकड़ों के अभाव में सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए विकास योजनाओं का निर्धारण किस प्रकार करती है;

(घ) क्या वर्तमान में कोई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): जी नहीं।

(ग): केंद्र सरकार की अधिकांश सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण योजनाएं और कार्यक्रम सामाजिक रूप से गरीब और समाज के वंचित वर्गों तथा केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए हैं, जो समान रूप से लाभान्वित होते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों उदाहरण–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास, आदि में विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती रही हैं जिससे अल्पसंख्यकों सहित लक्ष्य समूहों के जीवन स्तर का उत्थान होगा। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित अन्य गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास योजनाएं भी अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करती हैं।

इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित अल्पसंख्यकों (मुस्लिमों, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) के जीवन स्तर के उत्थान के लिए शैक्षिक सशक्तीकरण, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास, अवसंरचनागत सहायता आदि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बहु–आयामी रणनीति अपनाई है। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः

(क) शैक्षिक सशक्तीकरण : लाभार्थियों के चयन के लिए विभिन्न योजनाओं में आय मापदंड रखा गया है।

(i) छात्रवृत्ति योजनाएं – मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति।

(ii) नया सवेरा – सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार, निजी क्षेत्र में नौकरी, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों और अभ्यर्थियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना।

(iii) नई उड़ान – सिविल सेवा में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए और केन्द्र तथा राज्यों में सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता हेतु पर्याप्त रूप से तैयार होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने की योजना।

(iv) पढ़ो परदेश – अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सक्षम बनाने के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की योजना।

(v) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजनाः एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्च अध्ययन के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(vi) इसके अतिरिक्त, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान निम्नलिखित दो योजनाओं को लागू करता हैः

(क) कक्षा IX से XII में अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

(ख) गरीब नवाज रोजगार कार्यक्रम।

(ख) <u>आर्थिक सशक्तीकरण</u>

(i) <u>रोजगारोन्मुखी कौशल विकासः कार्यक्रम</u>

(क) सीखो और कमाओ (लर्न एंड अर्न): यह अल्पसंख्यकों के लिए एक कौशल विकास पहल है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं की योग्यता, मौजूदा आर्थिक रुझानों और बाजार की क्षमता पर निर्भर करते हुए विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशलों में उनके कौशल को उन्नत करना है, जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या उन्हें स्वरोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बनाया जा सके।

(ख) उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों का उन्नयन और प्रशिक्षण) – इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों और दस्तकारों के पारंपरिक कौशल का क्षमता निर्माण और उन्नयन करना; अल्पसंख्यकों की पहचान की गई पारंपरिक कला/शिल्प का प्रलेखन; पारंपरिक कौशल के मानक निर्धारित करना; मास्टर कारीगरों के माध्यम से पहचान की गई विभिन्न पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशिक्षण; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार संबंध विकसित

करना; और विलुप्त होती कला/शिल्प का संरक्षण। हुनर हाटों का आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है, जो कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

(ग) नई मंजिल – अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ऋण योजनाएं जो अधिसूचित अल्पसंख्यकों के बीच ''पिछड़े वर्गों'' के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्व–रोजगार और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करती हैं।

(iii) बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण।

(ग) अवसंरचनागत सहायता

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम (पीएमजेवीके) नामक एक अन्य योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो और चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में असंतुलन को कम किया जा सके। शिक्षा क्षेत्र के तहत और कौशल विकास के लिए मंजूर की गई प्रमुख परियोजनाओं में आवासीय विद्यालय, स्कूल भवन, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, सद्भाव मंडप, स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत संसाधनों का 80% शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्धारित है। इसके अलावा, 33 से 40% संसाधन महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत, पूरे देश में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जिनमें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी शामिल है, द्वारा योजनाओं/पहलों को लागू किया जा रहा है। यह कार्य या तो विशेष रूप से या अधिसूचित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, जहां भी संभव हो, समग्र वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य का 15% निर्धारित करके किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ): मंत्रालय के पास गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****